अति महत्वपूर्ण

संख्या– 3093 /नौ–1–12–119रिट /2011

प्रेषक,

प्रवीर कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

नगर विकास अनुभाग–1 लखनऊः दिनांकः 01 नवम्बर,2012

विषयः नगरपालिका परिषदों/नगर पंचायतों में खाता संचालन के संबध में व्यवस्था।

महोदय,

उपर्युक्त विषय से संबधित शासकीय पत्र सं0–4587 /9–1–11–119रिट/2011 दिनांक 30.12.2011 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा मा0उच्च न्यायालय एवं मा0उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में निम्नांकित निर्देश दिये गये थे:

"........ नगर पालिका परिषदों/नगर पंचायतों में खातों का संचालन अध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से होता है। वर्तमान मे अध्यक्ष के न रहने पर खातों के संचालन में कठिनाई को दृष्टिगत रखते हुए नगर पालिका परिषदों/नगर पंचायतों में खातों का संचालन अधिशासी अधिकारी के अतिरिक्त वहॉ के लेखा विभाग में कार्यरत उ0प्र0 पालिका केन्द्रीयित सेवा के लेखा संवर्ग के वरिष्ठतम अधिकारी (यथा लेखाकार) को संयुक्त हस्ताक्षर हेतु अधिकृत कर दिया जाय। जहॉ केन्द्रीयित सेवा का कर्मचारी/अधिकारी तैनात न हो तो वहॉ लेखा का कार्य देख रहे कार्मिक को इस प्रयोजन हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन अधिकृत कर दिया जाय :

(1)– उक्त कार्मिक अधिशासी अधिकारी द्वारा विधिवत् नामित किया गया हो।
(2)– यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि संयुक्त हस्ताक्षर की उक्त व्यवस्था के तहत धनराशि का नकद(cash) आहरण यथा सम्भव न किया जाय तथा चेकों का आहरण सुसंगत नियमों/आदेशों के अन्तर्गत समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति होने के पश्चात् ही नियमानुसार किया जाय। "

2. इस संबध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नागर निकायों का सामान्य निर्वाचन, 2012 सम्पन्न हो चुका है, जिसमें नगरपालिका परिषदों/नगर पंचायतों में अध्यक्ष निर्वाचित हो चुके हैं एवं निकायें विधिवत् गठित की जा चुकी हैं। **अतएव सम्यक विचारोपरांत उक्त शासनादेश दिनांक 30 दिसम्बर, 2011 को समाप्त करते हुए निर्देशित किया जाता है कि निर्वाचन पूर्ण हो चुके नगरपालिका परिषदों/नगर पंचायतों के खातों**

का संचालन पूर्व की भांति अध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा।

3. उक्त आदेश माननीय उच्चतम न्यायालय के विशेष अनुज्ञा याचिका (सिविल)संख्या (एस) 18362/2012 में जारी किये जाने वाले अंतिम आदेशों के अधीन होगा।

भवदीय,

(प्रवीर कुमार)
प्रमुख सचिव।

संं0 3093 (1)/9.1.2012, तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0 लखनऊ।
3. समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उत्तर प्रदेश द्वारा जिलाधिकारी।
4. वेब मास्टर ,नगर विकास विभाग को इस आशय से प्रेषित कि उक्त पत्र को विभागीय साइट पर अपलोड करने तथा समस्त संबधित को ई–मेल करने का कष्ट करें।
5. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(श्रीप्रकाश सिंह)
विशेष सचिव।